

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 035/2025(रा.प्रा.प.) (GCMS 2025/35)	दायर दिनांक 24.02.2025	निर्णय दिनांक 18.02.2026
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

- श्रीमती रुकमण देवी पत्नी रामचन्द्र जाति मालवीय आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

- धीरज पिता प्रहलाद जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री खुमराज कुमावत
भैरूलाल सालवी

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
राजकीय अभिभाषक

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) भू आवंटन नियम, 1970
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बमिसल क्रमांक
796/2021 आवंटन दिनांक 22.11.2021

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी निम्बाहेड़ा ने विपक्षी संख्या 01 को मौजा कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी संख्या 3177 रकबा 0.59 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि के संबंध में किया गया भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा है जिसकी कोई जांच पडताल नहीं की। विपक्षी संख्या 01 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल



की, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र जारी कर तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा की भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर मौजा कनेरा, तहसील निम्बोड़ा की आराजी संख्या 3177 रकबा 0.59 हैक्टेयर में से रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है जो कि विपक्षी संख्या 03 की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन का पात्र मानते हुए किया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 01 जाति से स्वर्ण है विपक्षी संख्या 1 के खाते में मौजा कनेरा की खाता संख्या 447 किता 3 कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा, खाता संख्या 456 किता 5 कुल रकबा 2.05 हैक्टेयर में निहित हिस्सा, खाता संख्या 953 किता 10 कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर में निहित हिस्सा, खाता संख्या 428 किता 4 कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर में निहित हिस्सा, मौजा सेमलिया तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 22 किता 1 कुल रकबा 1.82 हैक्टेयर में निहित हिस्सा तथा मौजा पील खेड़ी तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 236 किता 2 कुल रकबा 3.25 हैक्टेयर में निहित हिस्सा मौजा मैलाना तहसील निम्बाहेड़ा के खाता संख्या 156 किता 1 कुल रकबा 0.64 हैक्टेयर, मौजा परियाद की खाता संख्या 92 किता 1 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर में निहित हिस्सा होकर विपक्षी संख्या 01 के पास पर्याप्त कृषि भूमि होकर विपक्षी संख्या 01 किसी भी प्रकार से भूमिहीन की श्रेणी में नहीं है फिर भी विपक्षी संख्या 01 को विधि-विरुद्ध आवंटन किया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीया रामचन्द्र मालवीय की पत्नी होकर अन्य पिछड़ा वर्ग की सदस्य है तथा प्रार्थीया का कब्जा पुराना होकर नियमन योग्य होते हुए भी प्रार्थीया को प्रश्नगत आराजीयात का आवंटन नहीं करके गुप-चुप तरीके से विपक्षी संख्या 01 को आवंटन कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 ने कथन किया कि भू-आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 01 को आवंटन विधि अनुसार किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू-आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी ने विवादित आराजीयात को आवंटन किये जाने से पूर्व विधिवत् उद्घोषणा जारी कर उद्घोषित आराजी की विधिवत्



जांच-पड़ताल कर विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन किया गया है। विपक्षी संख्या 01 के पास जो कृषि आराजीयात है वह सीमांत कृषक की श्रेणी में होने से विपक्षी आवंटन का पात्र होने से आवंटन किया है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भूमि पर कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है। विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पूर्णतया विधि-सम्मत तरीके से आवंटन हुआ है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीया का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर फरमावें।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुना गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच-पड़ताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षी को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);



- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

- (4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आवंटन आदेश के बिन्दु संख्या 3 के उप-कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कब्जा रहा हो, इसके साथ ही विपक्षी संख्या 01 के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में रिपोर्ट पटवारी कॉलम संख्या 13 में विपक्षी संख्या 01 को आवेदित भूमि पर अतिक्रमी नहीं होना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य विरोधाभासी है। इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटी का आवंटन से पूर्व कब्जा नहीं रहा है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप-2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 3177 रकबा 0.59 हैक्टेयर में से विपक्षी संख्या 01 को आवंटित रकबा 0.25 हैक्टेयर



भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 के कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षी संख्या 01 द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जहां तक आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा होने का तथ्य प्रार्थीया द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा कोई भी ऐसा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो की आवंटित भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है। यह तथ्य केवल मौखिक कथनों से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कब्जा बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं हो सकता है। इसके साथ ही यदि कब्जा प्रार्थीया का मान भी लिया जाये तो निश्चित तौर पर प्रार्थीया अतिचारी की श्रेणी में है क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थीया द्वारा नियम 20 के तहत सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थीया का भी आवंटित भूमि पर कब्जा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 796/2021 दिनांक 22.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी संख्या 01 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 796/2021 दिनांक 22.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 796/2021 में दिनांक 22.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(आलोक रंजन)

